

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2026 — ज्येष्ठ 29, शक 1948

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/7119/2025-FINANCE/FOUR.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस संबंध में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1959/वित्त/ब-4/चार/2011, दिनांक 7 जनवरी, 2012 (समय-समय पर यथासंशोधित) को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात:-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय- सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जिला / इन्द्रावती कोषालय	देयकों का भुगतान SNA SPARSH सहित	3 कार्य दिवस	जिला / वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
2	जिला / इन्द्रावती कोषालय	स्टॉम्प वेन्डरों द्वारा राशि जमा करने के उपरांत स्टॉम्प पेपर का प्रदाय करना	3 कार्य दिवस	जिला / वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
3	जिला / इन्द्रावती कोषालय	कोषालय में पी.पी.ओ. प्राप्त होने पर और कार्यालय प्रमुख से अपेक्षित अभिलेख ऑनलाईन प्राप्त होते ही पेंशन का भुगतान आरम्भ किया जाना	7 कार्य दिवस	जिला / वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन

4	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	संयुक्त संचालक कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने के पश्चात् पी.पी.ओ. जारी करना	30 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	संभागीय आयुक्त	आयुक्त / संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि
5	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	पेंशनरों द्वारा दिये गये ऑफलाईन / ऑनलाईन आवेदन पत्रों का निराकरण	ऑफलाईन आवेदनों हेतु 15 कार्य दिवस एवं ऑनलाईन शिकायत पोर्टल हेतु 7 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	संभागीय आयुक्त	आयुक्त / संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि
6	जिला / इन्द्रावती कोषालय	पेंशनरों का पी.पी.ओ. एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना	15 कार्य दिवस	जिला / वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
7	जिला / इन्द्रावती कोषालय	चालान की डुप्लीकेट प्रति उपलब्ध कराना	3 कार्य दिवस	जिला / वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
8	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	वेतन निर्धारण की सत्यापन की कार्यवाही	30 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	संभागीय आयुक्त	आयुक्त / संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि
9	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	पेंशन प्रकरणों का पुनरीक्षण	15 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	संभागीय आयुक्त	आयुक्त / संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि
10	आयुक्त / संचालक संस्थागत वित्त	अभिकर्ता नियुक्ति हेतु आवेदन का निराकरण	30 कार्य दिवस	क्षेत्रीय वित्तीय समावेश अधिकारी / कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी	कलेक्टर	आयुक्त / संचालक, संस्थागत वित्त
11	आयुक्त / संचालक, संस्थागत वित्त	बचत योजनाओं के निवेशकों के आवेदन का निराकरण	7 कार्य दिवस	क्षेत्रीय वित्तीय समावेश अधिकारी / कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी	कलेक्टर	आयुक्त / संचालक, संस्थागत वित्त
12	संचालनालय / कार्यालय संयुक्त संचालक / कार्यालय उप संचालक	वेतन निर्धारण की सत्यापन की कार्यवाही	30 कार्य दिवस	संयुक्त संचालक / उप संचालक	संभागीय आयुक्त	संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
13	संचालनालय / कार्यालय संयुक्त संचालक / कार्यालय उप संचालक	पेंशन प्रकरण का सत्यापन	30 कार्य दिवस	संयुक्त संचालक / उप संचालक	संभागीय आयुक्त	संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
14	संचालनालय / कार्यालय संयुक्त संचालक / कार्यालय उप संचालक	सेवानिवृत्त हितलाभों का सत्यापन	30 कार्य दिवस	संयुक्त संचालक / उप संचालक	संभागीय आयुक्त	संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजशेखर शर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 18th June 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR-35/7119/2025-FINANCE/FOUR.— In exercise of the powers conferred by Section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011) and in supersession of previously issued Department's Notification No. 1959/Finance/B-4/Four/2011, dated 7th January, 2012 (as amended from time to time), the State Government, hereby, notifies the services to be provided by the department mentioned in the Schedule given below, the time limit fixed for providing the service, the Designated Officer providing the Service (post), the designation of the Competent Officer and the Appellate Authority, namely: -

S No.	Name of the Office/ Body/ Agency	Service to be Provided under the Lok Seva Guarantee Act, 2011	Time limit for Providing the Service (Working Days)	Public Authority Providing the service (Designation)	Competent Authority	Appellate Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	District/ Indrawati Treasury	Payment of bill including SNA SPARSH	3 working days	District/ Senior Treasury Officer	Collector	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension
2	District/ Indrawati Treasury	Supply of stamp papers after the amount is deposited by stamp vendors	3 working days	District/ Senior Treasury Officer	Collector	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension
3	District/ Indrawati Treasury	Commencement of pension payment immediately upon receipt of P.P.O. in the Treasury and online receipt of required documents from the Head of Office	7 working days	District/ Senior Treasury Officer	Collector	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension
4	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Issuance of P.P.O. after receipt of case in the Joint Director's office	30 working days	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Divisional Commissioner	Commissioner/ Director, Pension and Provident Fund
5	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Disposal of offline/online application forms submitted by pensioners	15 working days for offline applications and 7 working days for the online complaint portal	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Divisional Commissioner	Commissioner/ Director, Pension and Provident Fund

6	District/ Indrawati Treasury	Transfer of pensioner's P.P.O. from one place to another	15 working days	District/ Senior Treasury Officer	Collector	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension
7	District/ Indrawati Treasury	Providing a duplicate copy of the Challan	3 working days	District/ Senior Treasury Officer	Collector	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension
8	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Verification process of pay fixation	30 working days	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Divisional Commissioner	Commissioner/Director, Pension and Provident Fund
9	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Revision of pension cases	15 working days	Divisional Joint Director, Treasury, Accounts and Pension	Divisional Commissioner	Commissioner/Director, Pension and Provident Fund
10	Commissioner / Director, Institutional Finance	Disposal of application for agent appointment	30 working days	Regional Financial Inclusion Officer / Officer Nominated by the Collector	Collector	Commissioner /Director, Institutional Finance
11	Commissioner / Director, Institutional Finance	Disposal of applications from investors in savings schemes	7 working days	Regional Financial Inclusion Officer / Officer Nominated by the Collector	Collector	Commissioner /Director, Institutional Finance
12	Directorate/ office of Joint Director/ office of Deputy Director	Verification process of pay fixation	30 working days	Joint Director/ Deputy Director	Divisional Commissioner	Director, Chhattisgarh State Audit
13	Directorate/ office of Joint Director/ office of Deputy Director	Verification of pension cases	30 working days	Joint Director/ Deputy Director	Divisional Commissioner	Director, Chhattisgarh State Audit
14	Directorate/ office of Joint Director/ office of Deputy Director	Verification of retirement benefits	30 working days	Joint Director/ Deputy Director	Divisional Commissioner	Director, Chhattisgarh State Audit

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJ SHEKHAR SHARMA, Deputy Secretary.